

औपचारिक सूचना और जांच के लिए अनुरोध

7 अक्टूबर, 2023 को मोटर चालित पैराग्लाइडरों की भागीदारी के संबंध में शिकागो सम्मेलन के अनुच्छेद 26 और आईसीएओ अनुबंध 13 के अनुपालन में

प्रति:

नागरिक उड्डयन में दुर्घटनाओं और घटनाओं के मुख्य अन्वेषक (CIAIAC-IL)
परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्रालय, इज़राइल राज्य

प्रतिलिपि:

- अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ), मॉन्ट्रियल
- कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग
- ANSV – राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा एजेंसी (इटली)
- BEA – जांच और विश्लेषण ब्यूरो (फ्रांस)
- BFU – विमानन दुर्घटना जांच के लिए संघीय ब्यूरो (जर्मनी)
- ÚZPLN – विमानन दुर्घटना जांच संस्थान (चेक गणराज्य)

मान्यवर मुख्य अन्वेषक,

मैं यह पत्र अंतरराष्ट्रीय और इज़राइली कानून के तहत **औपचारिक सार्वजनिक सूचना** के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मोटर चालित पैराग्लाइडरों (पैरामोटर्स) का उपयोग एक गंभीर विमानन घटना का गठन करता है। आपके अधिकार क्षेत्र के तहत, यह **आईसीएओ अनुबंध 13** के अनुरूप एक तकनीकी जांच शुरू करने के लिए बाध्य करता है।

कानूनी आधार

शिकागो सम्मेलन (1944), अनुच्छेद 26:

“किसी संविदा राज्य के विमान के साथ किसी अन्य संविदा राज्य के क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना के मामले में, जो मृत्यु या गंभीर चोट का कारण बनती है, या विमान या हवाई नेविगेशन सुविधाओं में गंभीर तकनीकी दोष का संकेत देती है, जिस राज्य में दुर्घटना होती है, वह जांच शुरू करेगा... जहां तक उसके कानून अनुमति देते हैं, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया के अनुसार।”

आईसीएओ अनुबंध 13, मानक 5.1.1:

“घटना वाले राज्य को गंभीर घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू करनी होगी।”

इज़राइल का विमानन कानून, 2011 (תעופה):

इज़राइल की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और **नागरिक उड्डयन में दुर्घटनाओं और घटनाओं के मुख्य अन्वेषक** की स्थापना करता है, जो “विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं” की जांच करने और तदनुसार निष्कर्ष प्रकाशित करने के लिए अधिकृत और बाध्य है।

यह सूचना क्यों महत्वपूर्ण है

1. **ट्रेसबिलिटी मौजूद है।** मोटर चालित पैराग्लाइडरों के इंजन, फ्रेम और प्रोपेलर में सीरियल नंबर और लॉट कोड होते हैं, जिन्हें निर्माता और आयातक तक ट्रेस किया जा सकता है।
2. **इज़राइल के पास सबूत हैं।** रिपोर्टें पुष्टि करती हैं कि पैरामोटर्स को इज़राइली बलों द्वारा जब्त किया गया था।

3. **अंतरराष्ट्रीय दायित्व लागू होते हैं।** अनुबंध 13 के तहत, **निर्माता देशों** (इटली, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, संभवतः यूनाइटेड किंगडम) को जांच में भाग लेने का अधिकार है।
4. **रोकथाम का जनादेश।** अनुबंध 13 के लिए आवश्यक है कि जांच रिपोर्ट में **सुरक्षा सिफारिशें** शामिल हों। इस मामले में, इसका मतलब है **नागरिक विमानन उपकरणों को आतंकवादी उपयोग के लिए डायवर्ट होने से रोकना।**
5. **सार्वजनिक सूचना का अधिकार।** अनुबंध 13 और इज़राइली कानून **किसी भी व्यक्ति** को घटनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। यह पत्र ऐसी सूचना का गठन करता है, जो रजिस्टर करने, मूल्यांकन करने और जांच करने की जिम्मेदारी को सक्रिय करता है।

अनुरोध

- कि CIAIAC-IL 7 अक्टूबर, 2023 को उपयोग किए गए मोटर चालित पैराग्लाइडरों के संबंध में अनुबंध 13 के तहत एक औपचारिक जांच शुरू करे।
- कि सभी बरामद किए गए घटकों (इंजन, फ्रेम, पंख, हार्नेस, टैंक, प्रोपेलर) की सूची बनाई जाए, उनकी तस्वीरें ली जाएं, और उनके **सीरियल नंबर/लॉट कोड और निर्माता की पहचान पूरी तरह से प्रकट की जाए।**
- कि **निर्माता देशों** और उनके दुर्घटना जांच निकायों (इटली, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम यदि लागू हो) को औपचारिक रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए।
- यदि कोई जांच शुरू नहीं की जाती है, तो CIAIAC-IL एक **लिखित औचित्य** प्रदान करे, जिसमें उन विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर वह अपनी जिम्मेदारी से इनकार करता है।

अंतरराष्ट्रीय दायित्व

अनुबंध 13 के तहत दायित्व इज़राइल से परे विस्तारित होते हैं:

- **इज़राइल (घटना का राज्य):** जांच शुरू करनी होगी, मलबे को सुरक्षित करना और सूचीबद्ध करना होगा, और निष्कर्ष प्रकाशित करना होगा। ऐसा न करना अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन है।
- **आईसीएओ:** शिकागो सम्मेलन को बनाए रखना होगा और अन्य राज्यों का समर्थन करना होगा यदि वे जांच के प्रतिनिधिमंडल का अनुरोध करते हैं।
- **निर्माता देश (इटली, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम यदि लागू हो):**
 - उनके पास **अधिकार** है कि वे जांच में भाग लें, एक बार जब उनकी क्षेत्राधिकार में निर्मित उत्पादों की पहचान हो जाए।
 - उनके पास **कर्तव्य** है कि वे पुनरावृत्ति को रोकें — इस मामले में, यह सुनिश्चित करना कि उनके निर्यात नियंत्रण प्रणालियों को कमजोर न किया जाए और उनके उत्पादों को आतंकवादी उपयोग के लिए डायवर्ट न किया जाए।
 - यदि इज़राइल जांच करने या सीरियल नंबर प्रकट करने से इनकार करता है, तो वे **औपचारिक रूप से प्रतिनिधिमंडल का अनुरोध करने** के हकदार हैं। यदि इज़राइल इनकार करता है या तीस दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो वे अधिकृत — और बाध्य — हैं कि वे अपनी स्वयं की जांच करें।
 - अनुबंध 13 के तहत, वे **इज़राइल से सहयोग की मांग करने** के हकदार हैं, जिसमें मलबे, रिकॉर्ड, सीरियल नंबर और प्रासंगिक डेटा तक पहुंच शामिल है। इस तरह के सहयोग से इनकार करना स्वयं में आईसीएओ दायित्वों का उल्लंघन होगा।
- **विदेशी सरकारें:** अनुबंध 13 के अलावा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी और निर्यात नियंत्रण कानून उन्हें डायवर्जन की आशंका होने पर कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग:** यह निगरानी करने का अधिकार रखता है कि क्या इज़राइल और अन्य राज्य अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा कर रहे हैं या उन्हें बाधित कर रहे हैं।

अतिरिक्त कानूनी आयाम: आतंकवाद विरोधी और निर्यात नियंत्रण

चूंकि हमारा एक नामित आतंकवादी संगठन है यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य जगहों पर, नागरिक विमानन भागों का इसके कब्जे में डायवर्जन न केवल आईसीएओ अनुबंध 13 के तहत एक सुरक्षा चिंता है, बल्कि **राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी और निर्यात नियंत्रण कानूनों के तहत एक आपराधिक मामला** है।

इसके अनुसार, जब एक **निर्माता देश में दुर्घटना जांच ब्यूरो (AIB)** को अपनी क्षेत्राधिकार से उपकरणों के किसी नामित आतंकवादी समूह में **संभावित** डायवर्जन की जानकारी मिलती है, तो उसके पास राष्ट्रीय कानून के तहत यह कर्तव्य है:

- **सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित करना**, जो आतंकवाद विरोधी, व्यापार नियंत्रण या निर्यात लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार है; और
- उस प्राधिकरण के साथ सहयोग करना, जिसके पास बदले में AIB से सीरियल नंबर, आपूर्ति श्रृंखला और संभावित डायवर्जन बिंदुओं को सत्यापित करने के लिए तकनीकी सहायता मांगने का कानूनी कर्तव्य है।

यह दायित्वों की श्रृंखला का मतलब है कि इज़राइल द्वारा सीरियल नंबर और मलबे की जानकारी प्रकट करने से इनकार करने से विदेशी AIBs का कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। इसके विपरीत, वे रेफरल प्रक्रिया शुरू करने और अपनी सरकारों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए बाध्य रहते हैं जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि उनकी क्षेत्राधिकार से कोई उपकरण शामिल नहीं था।

निष्कर्ष

इज़राइल में प्रत्येक अल्ट्रालाइट दुर्घटना की जांच और CIAIAC-IL द्वारा रिपोर्ट की जाती है। यह असाधारण और गैरकानूनी होगा यदि इज़राइल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पैरामोटर घटना को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाए।

अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा की अखंडता, निर्यात नियंत्रणों के प्रवर्तन और पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए, मैं सम्मानपूर्वक **शिकागो सम्मेलन के अनुच्छेद 26, आईसीएओ अनुबंध 13 और इज़राइल के विमानन कानून (2011)** के अनुपालन की मांग करता हूँ।